



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24494

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4022 वर्ष 2026

सतेंद्र सिंह और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गंगा धर शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-

(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थियों को निर्देशित करे कि वे ग्राम- धनसैनी, तहसील- सदर, जिला मुजफ्फरनगर में स्थित याचिकाकर्ताओं की भूमि, अर्थात् खसरा संख्या 579, 576 और 581 के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 16.01.2026 (रिट याचिका का संलग्नक-2) को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दे।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता नया आवेदन दायर करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेंगे।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका को याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी सभी शिकायतों को व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के समक्ष नया प्रत्यावेदन दायर करने की अनुमति देते हुए निस्तारित किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 मामले में शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"